न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व अपील प्रकरण संख्या : 02/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2018/00034

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. प्रदीप चौहान पुत्र बद्रीलाल जाति सरगरा निवासी ग्राम देवली आउवा, मारवाड जंक्शन जिला पाली (राज.) 2. प्रियंका चौहान पुत्री श्री बद्रीलाल जाति सरगरा निवासी ग्राम देवली आउवा, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)		1. श्री तहसीलदार पाली, तहसील व जिला पाली (राज.) 2. मृतक ओगड़पुरी के कायम मुकाम 2/1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी स्व. श्री ओगड़पुरी 2/2. पर्वतपुरी पुत्र स्व. श्री ओगड़पुरी 2/3. रमेशपुरी पुत्र स्व. श्री ओगड़पुरी 2/4. हनुमानपुरी पुत्र स्व. श्री ओगड़पुरी 2/5. हुकमपुरी पुत्र स्व. श्री ओगड़पुरी 2/6. हिंगनाशपुरी पुत्र स्व. श्री ओगड़पुरी 2/7. श्रीमती संतोष देवी पुत्री स्व. श्री ओगड़पुरी पत्नी श्री केदार भारती तमाम जातिगण गोस्वामी निवासी ग्राम आकेली तहसील एवं जिला पाली (राज.) 3. चैनपुरी पुत्र श्री डुंगरपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राज.) 4. भगवानपुरी पुत्र श्री डुगरपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राज.) 5. मनोहर पुत्र श्री तुलसीदास रामावत जाति वैष्णव निवासी नवी पाटी, ग्राम नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरीराम नेहरा
रेस्पोडेंटगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.01.2022

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्व आदेश क्रमांक राजस्व/2017/2039 दिनांक 14.11.2017 जिसके अनुसार तहसीलदार पाली द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु मय म्याद प्रार्थना-पत्र के एवं शपथ पत्र के पेश की गई है अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मातहत अदालत का रेकर्ड मंगवाया गया एवं बहस सुनी गई।

वकील रेस्पो0 ने उनके द्वारा दिनांक 10.11.19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत कथन किया कि बंटवाडा आदेश 14.11.2017 [illegible] उक्त बंटवाडा पत्रावली में खसरा नम्बर 440/3 रकबा 5.13 कि[illegible] नम्बर 57 रकबा 4.15 बा0सो0 दर्ज है इन्ही दो खसरों का बंटवारा [illegible] ओगडपुरी [illegible] भगवानपुरी व मोहनपुरी व मनोहर के बीच हुआ था तत्समय में चारों ही खातेदार [illegible] थे अपीलाण्टगण के खसरा नम्बर 57/4 प्रदीप चौहान व 57/5 प्रियंका चौहान रकबा दोनो का 13–13 बिस्वा विचारण अपील में बताया है जो बंटवाडा में पक्षकार नही थे जिस विचारण अदालत ने अपीलाण्ट पक्षकार नही थे तो उन्होने अपील पेश की है वह पोषणीय नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:45:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

एंव काबिल खारिज योग्य है। अगर अपीलाण्ट पक्षकार विचारण न्यायालय मे नही थे तो उन्हे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 96 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने हेतु इजाजत लेनी थी कि वह पिड़ित पक्षकार है एवं उन्हे अपील पेश करने की इजाजत प्रदान की जावें। ऐसा इस अपील में नही किया गया है लिहाजा अपील अपीलाण्ट पोषणीय नही होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी पी 44(ए) 2012(1) आरआरजे पेज 374 (बी), 2002 आरआर जे पेज 891 भी पेश किये अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र पर वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी के खसरा नम्बर 57 मे से 13–13 बिस्वा भुमि क्रम सन् 2008 में की थी एवं 4.1.2017 को उपखण्ड अधिकारी महोदय पाली से अपीलाण्ट प्रदीप चौहान एवं प्रियंका चौहान ने अपने पक्ष में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया था दोनो का ही इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार द्वारा नही किया गया तथा 14.11.17 को बंटवाडा आदेश पारित कर दिया अपीलाण्टगण के खसरा नम्बर 57/4 एवं 57/5 मूल खसरा 57 के ही भाग है रेस्पोडेण्ट द्वारा समय पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज तह0 पाली द्वारा नही किये जाने का फायदा उठाया गया है तथा उसकी खातेदारी संपरिवर्तनसुदा भुमि को भी शामिल बंटवाडा कर दिया है। इसलिए वह पिडित पक्षकार है एवं अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जावें एवं जैर अपील आदेश व बंटवाडा खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1996 पेज 7 भी प्रस्तुत किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का भी ससम्मान अवलोकन किया गया तहसीलदार पाली द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवाडा दिनांक 14.11.17 को स्वीकृत किया उसका भी अवलोकन किया गया। सहमति से स्वीकृत बंटवाडे में अपीलाण्टगण कतई पक्षकार नही है न ही उनके खसरा नम्बर 57/4 व 57/5 बाबत बंटवाडा स्वीकृत किया गया है न ही बंटवाडा संलग्न जमाबंदी की फोटोप्रति वर्ष 2070–73 में ही अपीलाण्टगण खातेदार दर्ज है ऐसी स्थिति में अपीलाण्टगण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत बंटवारें में पक्षकार नही थे यह स्पष्ट है तथा जो मातहत न्यायालय में पक्षकार नही है वह उक्त आदेश के विरूद्व अपील बिना विचारण न्यायालय की अनुमति के प्रस्तुत नही कर सकते है तथा इस प्रकरण में अपीलाण्टगण द्वारा विचारण न्यायालय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 96 के तहत अपील पेश करने की इजाजत नही ली गई ऐसी स्थिति में यह अपील पोषणीय नही होने से काबिल खारिज है इस संबध में वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होते है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी उचित इजाजत लेकर अपील करने को स्वतंत्र रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:45:58 IST
Reason: SelfAttested